



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,

नई दिल्ली- 110003

दिनांक: 26.07.2019

केस नंबर: MG/18/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

केस नंबर: VKT/5/2019/STGUP/ SEFCC/RU-I

केस नंबर: PK/7/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

केस नंबर: BK/2/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

केस नंबर: R&O/11/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

सेवा में,

ज़िला अधिकारी,
ज़िला- मिर्जापुर,
(उत्तर प्रदेश)

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,
ज़िला- मिर्जापुर,
(उत्तर प्रदेश)

विषय: लेखपाल एवं तहसीलदार द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में- मिर्जापुर ज़िले के संस्थाओं एवं व्यक्तियों के अभ्यावेदनों के संबंध में।
महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, सुश्री अनुसुईया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 16.07.2019 समय 02.30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति (संलग्न) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

यह अनुरोध है कि आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर भेजने का कष्ट करे।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)

सहायक निदेशक

दूरभाष: 24641640

प्रतिलिपि:

- (1) कुमारी मनीषा गोंड,
पुत्री श्री वीरेंद्र कुमार/ निर्मला देवी,
ग्राम+ पोस्ट- खजुरी, लालगंज,
ज़िला- मिर्जापुर,
(उत्तर प्रदेश)

- (2) श्री विनोद कुमार टेकाम,
ग्राम- रैकरा, (बेल्गाड़ी)
पोस्ट ऑफिस- अभिलौधा, तहसील व थाना- माड़िहान,
ज़िला- मिर्जापुर,
(उत्तर प्रदेश)- 231310
(मो: 7754991423)
- (3) प्रीति कुमारी पुत्री श्री मुरली प्रसाद गौंड,
ग्राम- गौरी, पोस्ट- बहुआर,
तहसील- चुनार,
ज़िला- मिर्जापुर,
(उत्तर प्रदेश)
- (4) श्री बृजेश कुमार,
ग्राम- रैकरा, पोस्ट ऑफिस- अभिलौधा,
तहसील व थाना- माड़िहान,
ज़िला- मिर्जापुर,
(उत्तर प्रदेश)
- (5) श्री राहुल पुत्र श्री रामचन्द्र (एवं अन्य),
ग्राम+ पोस्ट- शेरवा,
ज़िला- मिर्जापुर
(उत्तर प्रदेश)
- (6) श्री सुरेश कुमार गौंड,
ग्राम+ पोस्ट- कोटा शिवप्रतापसिंह,
ज़िला- मिर्जापुर
(उत्तर प्रदेश)
(मो: 7054666977)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
- ✓ 2. NIC (please upload on the Commission's website)

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

ज़िला प्रशासन, ज़िला- मिर्ज़ापुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा गॉड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनांक 16.07.2019 समय 02.30 बजे का कार्यवृत्त ।

(केस नंबर: MG/18/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

(केस नंबर: PK/7/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

(केस नंबर: BK/2/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

(केस नंबर: VKT/5/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)


(केस नंबर: R&O/11/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

List of participants in the sitting is annexed.

2. कुमारी मनीषा गॉड पुत्री श्री वीरेंद्र कुमार/ निर्मला देवी, ग्राम+ पोस्ट- खजुरी, लालगंज, ज़िला- मिर्ज़ापुर ने अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2019 (केस नंबर: MG/18/2019/STGUP/SEFCC/RU-I) (2) प्रीति कुमारी पुत्री श्री मुरली प्रसाद गॉड, ग्राम- गौरी, पोस्ट- बहुआर, तहसील- चुनार, ज़िला- मिर्ज़ापुर ने अभ्यावेदन दिनांक 08.02.2019 (केस नंबर: PK/7/2019/STGUP/SEFCC/RU-I) (3) श्री बृजेश कुमार, ग्राम- रैकरा, पोस्ट ऑफिस- अभिलौधा, तहसील व थाना मड़िहान, ज़िला- मिर्ज़ापुर ने अभ्यावेदन दिनांक 02.02.2019 (केस नंबर: BK/2/2019/STGUP/SEFCC/RU-I) (4) श्री विनोद कुमार टेकाम, ग्राम- रैकरा, (बेलाही) पोस्ट ऑफिस- अभिलौधा, तहसील व थाना- मड़िहान, ज़िला- मिर्ज़ापुर (केस नंबर: VKT/5/2019/STGUP/SEFCC/RU-I) तथा (5) श्री राहुल पुत्र श्री रामचन्द्र (एवं अन्य), ग्राम+ पोस्ट- शेरवा, ज़िला- मिर्ज़ापुर तथा श्री सुरेश कुमार गॉड, ग्राम+ पोस्ट- कोटाशिवप्रतापसिंह, तहसील- लालगंज, ज़िला- मिर्ज़ापुर ने अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2019 (केस नंबर: R&O/11/2019/STGUP/SEFCC/RU-I) द्वारा आयोग को अवगत कराया कि ज़िला- मिर्ज़ापुर प्रशासन द्वारा व्यक्तियों/ आवेदकों को साक्ष्य होने के बावजूद, गॉड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है । आयोग ने प्रकरणों में क्रमशः पत्र दिनांक 28.05.2019, 25.03.2019, 25.03.2019, 25.03.2019 और 27.05.2019 द्वारा ज़िला अधिकारी, मिर्ज़ापुर से तथ्य तथा आख्या भेजने का अनुरोध किया ।


3. उपरोक्त अभ्यावेदनों में उठाये गये प्रकरणों के संदर्भ में आयोग द्वारा दिनांक 16.07.2019 को आयोजित सिटिंग में ज़िला अधिकारी, मिर्ज़ापुर उपस्थित नहीं हुये और उन्होने अपर ज़िला अधिकारी, (भू-रा०), ज़िला- मिर्ज़ापुर को सिटिंग में उपस्थित होने के लिए नामित किया । ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ज़िला- मिर्ज़ापुर तथा अभ्यावेदक सिटिंग में उपस्थित हुये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अभ्यावेदकों से ज़िला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पूछा । अभ्यावेदकों ने बताया कि राज्य प्रशासन द्वारा समय- समय पर जारी दिशा निर्देशों के बावजूद, ज़िला प्रशासन द्वारा अभी भी गॉड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं ।

4. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने ज़िला- मिर्ज़ापुर प्रशासन के प्रतिनिधियों से प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही को बताने को कहा । ज़िला- मिर्ज़ापुर के अधिकारियों ने उपरोक्त प्रकरणों में, ज़िला अधिकारी मिर्ज़ापुर के पत्रांक 858/सीलिंग/रा०अनु०जा०आ०/2019 जांच आख्या दिनांक 12.07.2019 के साथ दिनांक 12.07.2019 को ज़िला अधिकारी


सुश्री अनुसूईया उइके/Miss Anusuiya Uikhey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मिर्जापुर की अदालत में 'जनपद स्तरीय समिति' की आयोजित बैठक दिनांक 12.07.2019 का कार्यवृत्त भी उपलब्ध कराया। दिनांक 12.07.2019 'जनपद स्तरीय समिति' की बैठक में अपर जिला अधिकारी (भू-राजस्व), उप जिला अधिकारी, सदर/चुनार/लालगंज/ मडिहान, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मिर्जापुर तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मिर्जापुर उपस्थित थे। जनपद स्तरीय समिति द्वारा लिए गये निर्णय का सारांश, प्रकरणवार निम्नवत है।

- (क) कुमारी मनीषा गोंड पुत्री श्री वीरेंद्र कुमार/ निर्मला देवी, ग्राम+ पोस्ट- खजुरी, लालगंज, जिला- मिर्जापुर (केस नंबर: MG/18/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)- उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। विस्तृत चर्चा के बाद, समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संबन्धित को नोटिस प्रेषित कर सुनवाई हेतु समिति की अगली बैठक में प्रकरण को निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जाय।
- (ख) प्रीति कुमारी पुत्री श्री मुरली प्रसाद गोंड, ग्राम- गौरी, पोस्ट- बहुआर, तहसील- चुनार, जिला- मिर्जापुर (केस नंबर: PK/7/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)- दिनांक 13.03.2019 को गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
- (ग) श्री बृजेश कुमार, ग्राम- रैकरा, पोस्ट ऑफिस- अभिलौधा, तहसील व थाना मडिहान, जिला- मिर्जापुर (केस नंबर: BK/2/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)- समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उप जिला अधिकारी, मडिहान की अपेक्षित आख्या प्राप्त कर संबन्धित को साक्ष्य सहित सुनवाई हेतु नोटिस प्रेषित कर समिति की अगली बैठक में प्रकरण को निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जाय।
- (घ) श्री विनोद कुमार टेकाम, ग्राम- रैकरा, (बेलाही) पोस्ट ऑफिस- अभिलौधा, तहसील व थाना- मडिहान, जिला- मिर्जापुर (केस नंबर: VKT/5/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)- समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उप जिला अधिकारी, मडिहान की अपेक्षित आख्या प्राप्त कर संबन्धित को साक्ष्य सहित सुनवाई हेतु नोटिस प्रेषित कर समिति की अगली बैठक में प्रकरण को निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जाय।
- (ङ) श्री राहुल पुत्र श्री रामचन्द्र (एवं अन्य), ग्राम+ पोस्ट- शेरवा, जिला- मिर्जापुर तथा श्री सुरेश कुमार गोंड, ग्राम+ पोस्ट- कोटाशिवप्रतापसिंह, तहसील- लालगंज, जिला- मिर्जापुर (केस नंबर: R&O/11/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)- श्री राहुल को गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है।


शुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. इसके अलावा, ज़िला मिर्ज़ापुर के अधिकारियों ने अवगत कराया कि जिन लोगों के साक्ष्य सही पाये जाते हैं प्रशासन उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। आवेदको द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों में कमी होने के कारण प्रशासन गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पा रहा है, ऐसे आवेदको को तहसीलदार के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। यदि तहसीलदार से आवेदक संतुष्ट नहीं है तो वह उप ज़िला अधिकारी तथा ज़िला अधिकारी से अपनी शिकायत कर सकता है। ज़िले में अन्य समुदाय के लोग भी गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लेने की कोशिश में हैं। अतः प्रशासन बड़ी सावधानी के साथ छानबीन करके गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, जिससे आवेदको को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

6. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने पूछा कि उपरोक्त प्रकरणों में आवेदको/ व्यक्तियों जिनका नाम शामिल है, (श्री अशोक कुमार, श्री श्रवण कुमार, श्री नीरज कुमार, कुमारी भानुप्रिया, कुमारी प्रियंका, ग्राम- परशुरामपुर तहसील- चुनार; कुमारी वंदना, कुमारी रंजना सिंह तथा श्री अमितेश कुमार सिंह, ग्राम- हिनौती माफी, पोस्ट- गोठोरा, तहसील- चुनार; श्री पंकज कुमार, कुमारी सुषमा, श्री नीरज कुमार, श्री सुरेश कुमार ग्राम+ पोस्ट- कोटाशिवप्रतापसिंह, तहसील- लालगंज, ज़िला- मिर्ज़ापुर (केस नंबर: R&O/11/2019/STGUP/SEFCC/RU-I) के संबंध में ज़िला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, क्योंकि ज़िला प्रशासन से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः ज़िला अधिकारी, मिर्ज़ापुर द्वारा संबन्धित तहसीलदारों लेखपालों तथा अन्य अधिकारियों को आवेदको को गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु, शीघ्र कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाय।


7. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिन व्यक्तियों/ आवेदको द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्ष 1356 एवं 1359 फ़सली कि खतौनी जिसमें आवेदक या आवेदक के पूर्वज का नाम अंकित हो, प्रमाणित प्रति एवं अन्य साक्ष्य के साथ प्रेषित किया जाये। इन साक्ष्यों को तहसील में उपलब्ध मूल record से मिलान किये जाने के पश्चात, यदि सही पाया जाता है तो उस आवेदको/ व्यक्ति को गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, अविलंब निर्गत किया जाना चाहिए। जिन आवेदको/ व्यक्तियों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है उनके रिश्तेदार से गवाही कराकर अथवा ग्राम प्रधान या ग्राम के गोंड समुदाय के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा स्थलीय परीक्षण के उपरांत, सही पाये जाने पर उनको गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए।

8. प्रकरण में विस्तृत चर्चा के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निम्न सिफ़ारिश करते हुए एक मास के अंदर आयोग को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा :-

- (1) ज़िला प्रशासन द्वारा केस नंबर: MG/18/2019/STGUP/SEFCC/RU-I- कुमारी मनीषा गोंड; केस नंबर: BK/2/2019/STGUP/SEFCC/RU-I; श्री बृजेश कुमार तथा केस नंबर: VKT/5/2019/STGUP/SEFCC/RU-I श्री विनोद कुमार टेकाम के प्रकरणों में 'जनपद स्तरीय समिति' की बैठक शीघ्र आयोजित की जाये। जिससे, उन्हें गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिल सके।
- (2) ज़िला अधिकारी मिर्ज़ापुर द्वारा ज़िले के सभी लेखपालों एवं तहसीलदारों तथा अन्य संबन्धित अधिकारियों को गोंड अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के प्रकरणों को प्राथमिकता देने को कहा जाये।

Anusuiya
शुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikay
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- (3) तहसीलदार- लालगंज तथा चुनार को गॉड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करके हेतु संश्लित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करने को कहा जाये ।
- (4) आवेदको की वास्तविकता का पता लगाने हेतु स्थलीय जांच के समय संबन्धित ग्राम प्रधान एवं गॉड समुदाय के संभ्रांत व्यक्तियों (जिस गाँव का आवेदक हो या निकट के गाँव से हो) जानकारी प्राप्त की जाये ।
- (5) जिन व्यक्तियों/ आवेदको के पास गॉड अनुसूचित जनजाति का पुराना प्रमाण पत्र है उनके अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को डिजिटल करने की अविलंब कार्यवाही की जाये । जिससे कम समय में अधिक लोगों को लाभ मिल सके ।


शुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikye
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

ज़िला पशासन, ज़िला- मिर्ज़ापुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में सुश्री अनुसूइया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनांक 16.07.2019 समय 02.30 बजे के प्रतिभागियों की सूची।

(केस नंबर: MG/18/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

(केस नंबर: PK/7/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

(केस नंबर: BK/2/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

(केस नंबर: VKT/5/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

(केस नंबर: R&O/11/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

I National Commission for Scheduled Tribes

1. Ms. Anusuiya Uikey, In Chair
Hon'ble Vice-Chairperson
2. Shri Gaurav Kumar,
P. S. to Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Rajeshwar Kumar,
Assistant Director
4. Shri R.S. Misra,
Senior Investigator

II District- Mirzapur

Shri M.A. Ansari,
ADM, L/R

III District Social Welfare Officer, Mirzapur

Ms. Manju Sonkar

IV Petitioner (s)

1. Shri Ramchand,
Village & Post- Sherwa,
District- Mirzapur
2. Kumari Preeti D/o Shri Murli Prasad,
Village- Gauri, Post- Bahuar,
District- Mirzapur
3. Kumari Manisha Gond D/o Shri Virendra Kumar,
Village & Post- Khajuari,
District- Mirzapur
4. Shri Ramesh Kumar Gond S/o Shri Hiralal,
Village & Post- Kota Shivpratapsingh,
District- Mirzapur